[illegible]

[illegible] अपराध [illegible] अन्वेषण [illegible] प्रतीत होता है। यह केवल अन्वेषण अधिकारी के विवेक आवेदन के आधार पर अन्वेषण आदेश के विरुद्ध Cr.P.C. की धारा 80(2) के अन्तर्गत निर्णय लिया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रार्थना अभिवेदन B.N.S. की धारा 80(2) के तहत समाधित किया गया है।

अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किए जाने के लिए पर अभिलेख पर उपलब्ध सभी तथ्यों अभिलेखों का अवलोकन किया जाना विहित होता है एवं अनुसंधानकर्ता के पत्रावली के परख प्रतिवेदन तथा तुलनात्मक समर्थित रहे हैं। विद्वान अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया है एवं अनुसंधानकर्ता द्वारा सही मंतव्य से अनुसंधान किया गया है। संपूर्ण कोई दोषिता है तथा ही अग्रसर कार्यवाही हेतु कोई आधार/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाता है तथा वाद की आवश्यक कार्यवाही निष्पादन की जाती है। कार्यालय आदेश को अगले आदेश तक लिंबित नहीं किया जाये के विशेष निर्देश के साथ [illegible] अग्रेतर